न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

	आदेश वाद सं0 एम 76 / 2022 धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता प्रथम पक्ष.........संजय कुमार बड़ाईक ....(वगैरह) । **बनाम** द्वितीय पक्ष ...... दिलीप बड़ाईक .... (वगैरह) ।	
16.9.22	वाद की कार्रवाई थाना बसिया अप्राथमिकी सं0 07 / 2022 दिनांक 02.07.2022 धारा 144 द०प्र०स० के अन्तर्गत प्रतिवेदित किया जाता है कि **प्रथम पक्ष** (1) संजय कुमार बड़ाईक उम्र 40 वर्ष पिता– स्व0 तिलकु बड़ाईक ग्राम– कोनबीर, थाना– बसिया ,जिला – गुमला बनाम **द्वितीय पक्ष** (1) दिलीप बड़ाईक उम्र 47 वर्ष (2) छोटू बड़ाईक उम्र 36 वर्ष (3) एतवा बड़ाईक उम्र 52 वर्ष पिता– स्व० कोहड़ा चीक बड़ाईक तीनों सा0 कोनबीर थाना – बसिया, जिला– गुमला के बीच मौजा– भागीडेरा खाता सं0–07, प्लॉट सं0– 281, रकबा – 1.44 एकड़ जमीन जिसका चौहदी – उतर में मनोहर महंथी पिता–स्व0 कार्तिक महंथी का परती जमीन है। दक्षिण में सरकारी जमीन है। पुरब में सरकारी जमीन है। पश्चिम में रीता सिन्हा पति – नकुल प्रसाद का पक्का मकान तथा निकासी का मुख्य दरवाजा एवं प्रदीप मिंज का पक्का मकान है, को लेकर लड़ाई झगड़ा का विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना । थाना प्रभारी पालकोट के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है। **प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–** प्रथम पक्ष नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि वर्तमान वाद मौजा भागीडेरा के खाता नं0 07, प्लॉट नं0 281, रकबा – 1.44 एकड़ भूमि पर जबरदस्ती भवन निर्माण हेतु नींव खोदने को लेकर है। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष दोनों एक ही वंशवृक्ष के सदस्य है और उक्त सम्मिलात जमीन पर अपना – अपना दावा कर रहे हैं।	

उभय पक्ष का वंशवृक्ष निम्न प्रकार है :–

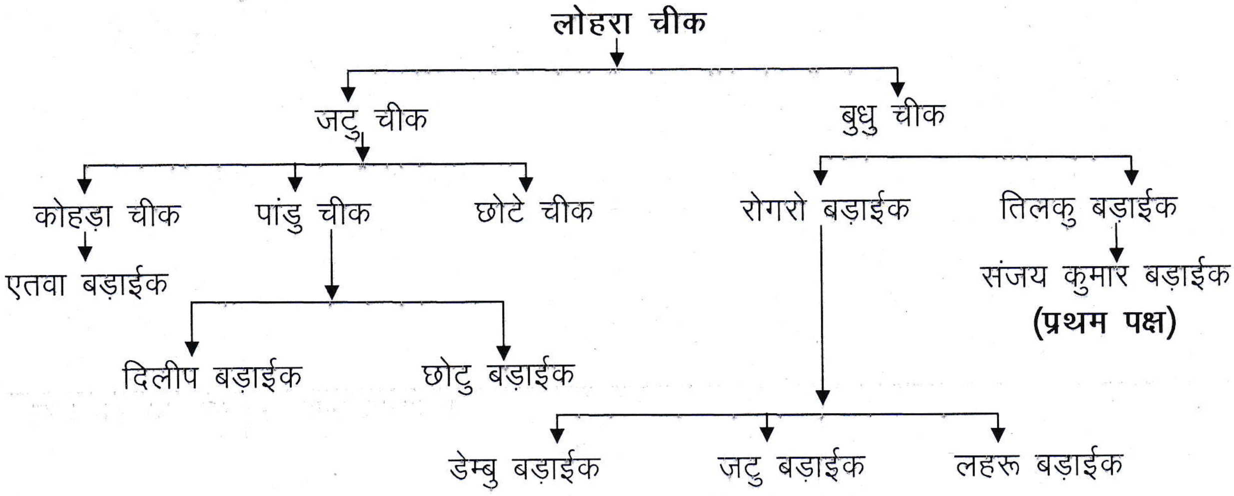

उपर वर्णित जमीन की जमाबन्दी कोंहड़ा चीक, पांडु चीक व छोटे चीक तीनों के पिता जटु चीक वो बुधु बड़ाईक पिता लोहरा बड़ाईक के नाम है और उक्त संयुक्त नाम से रसीद कटते आ रहा है। उपरोक्त जमीन पर दोनों पक्ष पूर्वज के समय से मौखिक बंटवारे के आधार पर अपने–अपने हिस्से में दखलकार हैं और खेती बारी करते आ रहे हैं। उपर वर्णित जमीन का तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा कोयल कारों जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु अधिग्रहण की अधिसूचना संख्या–डी.एल. ए. रांची कोयल कारों – 59 /87–2901 के द्वारा भूमि अधिग्रहित की गयी थी जिसका मुवावजा उपरोक्त वंशावली के सभी हिस्सेदार को उनके हिस्से के अनुसार वितरीत किया गया था अर्थात बिल्कुल स्पष्ट है कि उस समय उक्त सम्मिलात जमीन पर हिस्सेदारी को लेकर कोई विवाद नहीं था । उपर वर्णित जमीन पर प्रथम पक्ष के द्वारा चालीस वर्ष पूर्व एक कुंआ का भी निर्माण किया गया है और उस कुएँ के पानी से प्रथम पक्ष अपने हिस्से में सिंचाई कर रब्बी फसल की खेती करते आ रहे हैं । द्वितीय पक्ष के लोग दबंग और बदमास किस्म के आदमी हैं इसलिए अपने मसल ताकत से प्रथम पक्ष के हिस्से की किमती जमीन को हड़पना चाहते हैं । प्रथम पक्ष शांतिप्रिये और कानून का सम्मान करने वाला व्यक्ति है। उक्त उक्त जमीन अब काफी किमती हो गया है इसलिए प्रथम पक्ष के हिस्से की जमीन पर द्वितीय पक्ष को डरा धमकाकर जबरन मकान बनाने के लिए प्रयास कर रहा है और उसपर नीव खोदना प्रारंभ किया है। द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के हिस्से की जमीन हड़पने के लिए कानून को भी अपने हाथ में लेने के लिए आमदा दिखाई दे रहे हैं ।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष को जाने से पूरी तरह रोक लगाते हुए प्रथम पक्ष के हित में वाद को स्थिर करने की कृपा की जाय ।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1. पंजी ।। की छायाप्रति।
2. वंशावली की छायाप्रति।
3. रसीद की छायाप्रति।
4. अधिसूचना की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि उपरोक्त वाद प्रथम पक्ष संजय कुमार बड़ाईक के प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय पक्ष दिलीप बड़ाईक व अन्य के विरूद्ध लाया गया है जो चलने लायक नही है और खारिज करने लायक हैं। प्रश्नगत जमीन अन्तर्गत मौजा– भागीडेरा, थाना– बसिया, जिला– गुमला खाता नं0 – 07, प्लॉट नं0– 281, रकबा –

1.44 एकड़ से संबंधित है जो द्वितीय पक्ष के पुर्वजो की खतियानी जमीन है। प्रश्नगत जमीन अन्तर्गत मौजा– भागीडेरा खाता न०– 07 प्लॉट नं0– 281 रकबा – 1.44 एकड़ आर० एस० रिकोर्ड ऑफ राइट में जटु चीक वल्द लोहरा चीक जाति– चीक कायमी बन्दोबस्ती जबानी सलामी मोबलिक तीन (3) रूपया 8 साल से दर्ज है जो द्वितीय पक्ष के पुर्वज के नाम से दर्ज है। उपरोक्त जमीन जमींदार द्वारा बन्दोबस्ती होने के पश्चात द्वितीय पक्ष के पुर्वज सरकार को अद्यतन लगान देते आ रहे है। खतियानी रैयत की वंशावली निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता नं०	प्लॉट नं0	कुल रकबा
भागीडेरा	07	281	1.44 एकड़

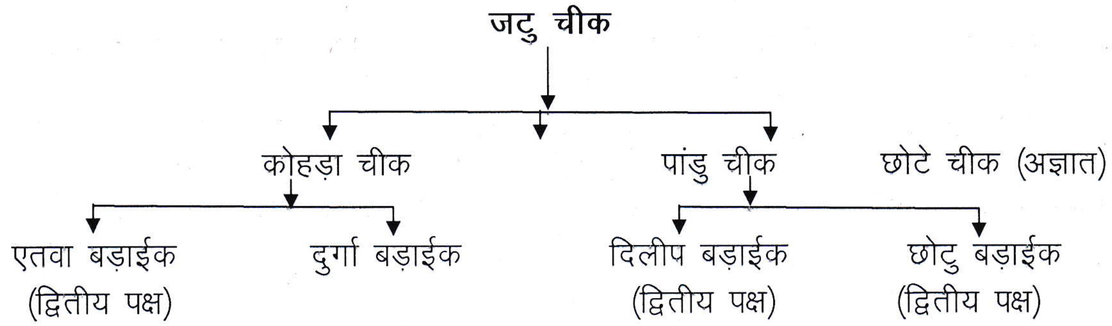

प्रश्नगत जमीन का जमाबन्दी पंजी – II में कोहड़ा चीक, पांडु चीक व छोटे चीक सभी पिता– स्व० जटु चीक के नाम से दर्ज हैं। ऑनलाईन पंजी – II की छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत जमीन का सरकारी लगान द्वितीय पक्ष के पुर्वज और वर्तमान में द्वितीय पक्ष के सदस्य विहार सरकार व झाखण्ड सरकार को दे रहे है । सरकारी लगान रशीद की छायाप्रति संलग्न है । पुलिस प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमीन द्वितीय पक्ष के दादा जटु चीक के नाम से खतियान में दर्ज है। वंशावली और खतियान से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष के सदस्य खतियानी रैयत के वंशज नहीं है और विना हक व सरोकार के द्वितीय पक्ष के सदस्यों को गृह निर्माण करने में बलपूर्वक निर्माण कार्य रोक रहे है। प्रथम पक्ष के सदस्य के पुर्वज ओर द्वितीय पक्ष के सदस्यसों के पूर्वजों का खतियान संयुक्त रूप से ग्राम कोनबीर खाता सं0– 126 बना हुआ है जो कायमी जमीन है और खाता सं0– 126 पर दोनों पक्षों के पूर्वजों का खतियानी जमीन है। खतियान की छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत जमीन मौजा– भागीडेरा खाता सं0 – 07 प्लॉट सं0– 281 रकबा 1.44 एकड़ केवल द्वितीय पक्ष के दादा जटु चीक के नाम दर्ज है जो बन्दोबस्ती जबाबी सलामी मो० 3 रू 8 साल से केवल जटु चीक के नाम से दर्ज है। खतियान की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर श्रीमान् से प्रार्थना है कि धारा 144 द० प्र० सं० की कार्यवाही प्रथम पक्ष के विरूद्ध स्थिर करते हुए द्वितीय पक्ष के विरूद्ध विलुप्त किया जाय ।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 ग्राम भागीडेरा के खतियान की छाया प्रति।
2 ग्राम कोनबीर के खतियान की छाया प्रति।
3 ऑनलाइन पंजी– II की छायाप्रति
4 सरकारी लगान रशीद बिहार सरकार व झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत लगान रसीद की छायाप्रति।
5 ऑनलाइन रसीद 2019 की छायाप्रति ।
6 ऑनलाइन रसीद 2022 की छायाप्रति ।
7 कनटिनियुस खतियान की छाया प्रति।
8 बन्डा पर्चा की छाया प्रति।
9 ऑनलाइन जमीन विवरणी का छाया प्रति।

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब, कागजात, दस्तावेजो की छायाप्रति के अवलोकन एवं बहस से स्पष्ट होता है कि वाद्गत भूमि मौजा– भागीडेरा, थाना– बसिया, जिला– गुमला खाता नं0 – 07, प्लॉट नं0– 281, रकबा – 1.44 एकड़ से संबंधित है। यह मामला स्वत्व का प्रतित होता है। उभय पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते है। वादग्त भूमि पर शांति भंग होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अतः इस वाद को बिना किसी गुण–दोष के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.24 11:39:50 +05:30
Location: 192.168.1.4